P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-5 * (Part-1) January- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

# भारत में खाद्यान्न उत्पादन एवं भण्डारण : सम्भावनाएं एवं चुनौतियां

**सारांश**

भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है ऐसे में देश की आबादी को खाद्यान्न मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता है इसलिए पिछले कुछ वर्षो से देश में खाद्यान्न उत्पादन एवं उसके उचित भण्डारण हेतु ठोस प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे है। खाद्यान्नों की खरीद का कार्य केन्द्रीय तथा राज्य एजेन्सियों द्वारा किया जाता है। खाद्यान्न उत्पादन को बढाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न खाद्यान्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है प्रस्तुत शोधलेख के माध्यम से देश में खाद्यान्न उत्पादन एवं उसके सुरक्षित भण्डारण व चुनौतियों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया हैं।

**मुख्य शब्द:** खाद्यान्न, उत्पादन, मोटा अनाज, भण्डारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीफ व रबी।

**राजबीर सिंह दलाल**
प्रोफेसर,
लोक प्रशासन विभाग,
चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय,
सिरसा, हरियाणा

**जगजीत सिंह**
शोधार्थी,
लोक प्रशासन विभाग,
चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय,
सिरसा, हरियाणा

**प्रस्तावना**

भारत की अधिकतर जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और कृषि जैसी प्राथमिक क्रियाओं पर आश्रित है। विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का भारत के पास लगभग 2.4 प्रतिशत एवं जल संसाधन का लगभग 4 प्रतिशत हिस्सा ही आता है जबकि इसे विश्व की कुल जनसंख्या के 17.5 प्रतिशत हिस्से को सहारा देना पड़ता है। भारतीय कृषि में बेहतर उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है जिस वर्ष मानसूनी वर्षा सामान्य से कम होती है उस वर्ष कृषिगत उत्पादन में कमी देखी जाती है लेकिन जिस वर्ष मानसूनी वर्षा सामान्य अथवा अधिक होती है उस वर्ष कृषिगत उत्पादन में वृद्धि देखी जाती है इस तरह से वर्ष 2017–18 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन अपने रिकार्ड स्तर तक गया है जो कि 27.19 करोड़ टन रहा है और 2018–19 के लिए 28.37 करोड़ टन का लक्ष्य रखा गया है।[1] इतना खाद्यान्न उत्पादन के बावजूद देश में 25–30 प्रतिशत आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है और कुपोषण का शिकार है जिसमें महिलाओं और बच्चों की मात्रा व स्थिति काफी खराब हैं निःसंदेह भारत लम्बे समय से जनसंख्या के बड़े भाग को गरीबी व भूखमरी से निजात दिलाने के लिए प्रयासरत है।

भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की महत्ता को इस तथ्य से मापा जा सकता है कि देश के समस्त बोये क्षेत्र के दो–तिहाई भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख रूप से उत्पादित की जाती है। अनाज की सरंचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज तथा दालों में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 54 प्रतिशत भाग पर अनाज बोये जाते हैं। भारत विश्व का लगभग 11 प्रतिशत अनाज उत्पन्न करके अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है जिन्हें उत्तम अनाज (चावल, गेहूँ) तथा मोटा अनाज (ज्वार, दालों, बाजरा, मक्का) आदि में वर्गीकृत किया जाता है। भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। भारत विश्व का 22 प्रतिशत चावल उत्पादन करता है तथा चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखता है। देश के कुल बोये क्षेत्र के एक चौथाई भाग पर चावल बोया जाता है। देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उतर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु आदि है भारत में चावल के पश्चात् गेहूँ दूसरा प्रमुख अनाज है। यह विश्व का 12 प्रतिशत गेहूँ उत्पादन करता है। देश के कुल बोये क्षेत्र के लगभग 14 प्रतिशत भाग पर गेहूँ की खेती की जाती है। और 16.5 प्रतिशत भाग पर मोटे अनाज बोये जाते हैं। इनमें ज्वार प्रमुख है जो देश के

कुल कृषि क्षेत्र के 5.3 प्रतिशत तथा बाजरा 5.2 प्रतिशत भाग पर बोया जाता है। मक्का एक खाद्य एवं चारा फसल है यह फसल कुल कृषि क्षेत्र के 3.6 प्रतिशत भाग में बोई जाती है। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है तथा विश्व की लगभग 20 प्रतिशत दालें उत्पन्न करता है। देश के कुल बोये क्षेत्र का लगभग 11 प्रतिशत भाग दालों के अधीन जाता है।[2] देश में गरीबी व भूखमरी को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश के अन्दर उत्पादित होने वाले अनाज के सहारे ही चल रही है तथा लक्षित परिवारों को लाभ पहुंचा रही है।

**खाद्यान्नों की खरीद**

केन्द्रीय स्तर पर खाद्यान्नों की खरीद का कार्य केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा किया जाता है। यह कार्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद कर किया जाता है। समर्थन मूल्य पर खरीद करने से खाद्यान्नों की कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित होती है। इससे दो उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पहला तो यह कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल जाता है और दूसरा सरकार द्वारा खाद्यान्नों का सार्वजनिक भण्डारण किया जाता है जिसको आवश्यकता पड़ने पर सरकार आपातकाल में प्रयोग कर सकती है। इसके अतिरिक्त लोककल्याणकारी नीतियों एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्यन में भी इस खाद्यान्न भण्डारण का प्रयोग किया जाता है। केन्द्रीय खाद्यान्न विभाग द्वारा विभाग को प्राप्त सरकारी सहायता के खर्च में कमी करने के रूप में बचत करने, खरीद और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने तथा स्थानीय स्तर पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देकर स्थानीय स्तर पर वसूली को अधिकतम स्तर तक प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सरकार ने वर्ष 1997–98 में राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की विकेन्द्रीयकृत वसूली की स्कीम लागू की थी। इस समय देश के लगभग सभी राज्यों में इस नीति को रबी तथा खरीफ की फसलों की खरीद के लिए लागू किया जा चुका है। केन्द्र सरकार उन राज्यों को भी अपने वसूली प्रयासों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है, जिनमें खरीद की सम्भावनाएं मौजूद है लेकिन वे खरीद नहीं कर रहे है।

**अध्ययन के उद्देश्य**

वर्तमान शोधपत्र का उद्धेश्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन एवं भण्डारण की वास्तविक स्थिति तथा इसकी संभावनाओं एवं चुनौतियों से सबंधित है साथ ही भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला गया हैं और यह भी दर्शाने का प्रयास किया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के चलते देश में खाद्यान्न उत्पादन, खाद्य सुरक्षा एवं कीमत नियन्त्रण पर क्या प्रभाव पड़ा हैं।

**खाद्यान्नों के निर्धारित समर्थन मूल्य**

केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न खाद्यान्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है ताकि किसानों को फसलों का उचित लाभान्वित मूल्य प्राप्त हो सके व सरकार फसलों को किसानों से सीधे तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सके ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं के लिए खाद्यान्नों का भण्डारण कर सके। वर्ष 2007–08 से 2017–18 तक विभिन्न खाद्यान्नों का कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार हैः

**विभिन्न खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस वर्ष 2007–08 से 2017–18 तक**

| वर्ष | गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य + बोनस | धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य | | मोटा अनाज | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सामान्य+बोनस | ग्रेड 'ए'+बोनस | ज्वार / बाजरा / मक्का / राई | जौ |
| 2007-08 | 750+100=850 | 645+100=745 | 675=100=775 | 600 | 565 |
| 2008-09 | 1000 | 850+50=900 | 880 | 840 | 650 |
| 2009-10 | 1080 | 950+50=1000 | 980+50=1030 | 840 | 680 |
| 2010-11 | 1100 | 1000 | 1030 | 880 | 750 |
| 2011-12 | 1120+50=1170 | 1080 | 1110 | 980 | 780 |
| 2012-13 | 1285 | 1250 | 1280 | 1500 | 980 |
| 2013-14 | 1350 | 1310 | 1345 | 1500 | 980 |
| 2014-15 | 1400 | 1360 | 1345 | 1500 | 1100 |
| 2015-16 | 1450 | 1410 | 1450 | 1570 | 1150 |
| 2016-17 | 1525 | 1470 | 1510 | 1625 | 1225 |
| 2017-18 | 1625 | 1550 | 1590 | 1700 | 1325 |

स्रोतः केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2016–17

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर मण्डियों में खाद्यान्नों की खरीददारी की जाती है। वर्ष 2007–08 से वर्ष 2017–18 तक गेहूँ, चावल व मोटे

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-5 * (Part-1) January- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तालिका में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2007–08 में सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 750 रू. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था जिस पर 100 रू. प्रति क्विंटल का बोनस भी जारी किया गया। इसी वर्ष धान के सामान्य व 'ए' ग्रेड के चावल पर 100 रू. प्रति क्विंटल का बोनस दिया गया। मोटे अनाज की फसलों ज्वार, बाजरा, मक्का, राई का 600 रू. प्रति क्विंटल, जौ के लिए 565 रू. प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया। इसी तरह से आगामी वर्ष में 2011–12 में गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1120 रू. तथा 50 रू. बोनस दिया गया। सामान्य धान का 1080 व 'ए' ग्रेड धान 1110 रू. व ज्वार, बाजरा, मक्का, राई का 980 रू. प्रति क्विंटल व जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 780 रू. निर्धारित किया गया। वर्ष 2015–16 में गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 निर्धारित किया गया था। सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1360 रू. प्रति क्विंटल और 'ए' ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1400 रू. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का, राई का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2015–16 में 1560 रू. प्रति क्विंटल और जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1150 रू. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1525 रू. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1470 रू. प्रति क्विंटल व ए ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1510 रू. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का 1625 रू. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। इसी प्रकार जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1225 रू. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वर्ष 2017–18 के लिए गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1625 रू. सामान्य धान 1550 रू. ए ग्रेड धान 1590 रू. प्रति क्विंटल मोटे अनाज का 1700 रू. व जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1325 रू. घोषित किया गया है।[3] इस प्रकार एक दशक के दौरान सभी अनाजों के समर्थन मूल्य में निरन्तर प्रगति होती गई और यह दो गुणा से अधिक हो गया हैं यदपि इसे कई आयामों से संतोषजनक कहा जा सकता है लेकिन देश में अन्य वस्तुओं की कीमतो तथा कृषि लागत में वृद्धि के अनुपात में यह वृद्धि नाकाफी कही जा सकती हैं।

**देश में खाद्यान्नों के उत्पादन का विवरण**

भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा यहां के अधिकतर लोगों का व्यवसाय कृषि ही है। कृषि पर आश्रित होने के लिए लोग खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं। अपनी जरूरत की पूर्ति के उपरान्त खाद्यान्नों को बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा जाता है। भारत के प्रमुख खाद्यान्नों में गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, राई आदि प्रमुख है, जिन्हें लोग खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। भारतीय कृषि अधिकतर वर्षा पर निर्भर करती है। जब कभी वर्षा समय पर और पर्याप्त होती है तो उत्पादन बढ़ जाता है और जब कभी वर्षा समय पर न होकर एवं अपर्याप्त होती है तो उत्पादन कम होता है। भारत में वर्ष 2010–11 से 2017–18 तक के वर्षों में हुए विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन को दर्शाया गया है।

**खाद्यान्नों के उत्पादन का विवरण वर्ष 2010–11 से 2017–18 तक**

| वर्ष | गेहूँ उत्पादन ( मिलियन टन में) | चवल उत्पादन (मिलियन टन में) | मक्का उत्पादन ( मिलियन टन में) | बाजरा उत्पादन ( मिलियन टन में) |
|---|---|---|---|---|
| 2010–11 | 86.87 | 95.98 | 21.73 | 10.37 |
| 2011–12 | 94.88 | 105.30 | 21.76 | 10.28 |
| 2012–13 | 93.51 | 105.24 | 22.76 | 8.74 |
| 2013–14 | 95.91 | 106.65 | 24.26 | 9.25 |
| 2014–15 | 86.53 | 105.48 | 24.17 | 9.18 |
| 2015–16 | 94.04 | 104.41 | 22.57 | 8.07 |
| 2016–17 | 97.44 | 109.15 | 26.14 | 9.86 |
| 2017–18 | 97.49 | 111.01 | 18.73 | 9.89 |

स्रोत : www.foodgrainproductioninindia.com

देश में वर्ष 2010–11 में 86.87 मिलियन टन गेहूँ का उत्पादन हुआ। वर्ष 2011–12 में यह बढ़कर 94. 88 मिलियन टन गेहूँ उत्पादन हुआ। वर्ष 2012–13 में 93. 51 मिलियन टन, 2013–14 में 95.91 मिलियन टन गेहूँ का उत्पादन हुआ परन्तु वर्ष 2014–15 में यह घटकर 86. 53 मिलियन टन पर पहुंच गया। वर्ष 2015–16 में फिर बढ़कर 94.04 मिलियन टन गेहूँ का उत्पादन हुआ। वर्ष 2016–17 में यह बढ़कर 97.44 मिलियन टन गेहूँ का रिकार्ड उत्पादन हुआ।[4] इस प्रकार उपरोक्त अवधि में देश में गेहूं के उत्पादन में 10.5 करोड़ टन की वृद्धि हुई है जो निश्चय ही एक सकारात्मक कदम कहा जा सकता हैं। दक्षिणी भारत की प्रमुख खाद्य फसल के रूप में चावल प्रमुख स्थान रखता है। विश्व में चावल उत्पादन में भारत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चावल की कृषि मुख्यतः वर्षा पर अधिक आश्रित है। मानसूनी वर्षा अच्छी व समय पर होने से चावल उत्पादन में वृद्धि होती है। वर्ष 2010 में देश में 95.98 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ, वर्ष 2011–12 में 105.30 मिलियन टन पर पहुंच गया वहीं वर्ष 2012–13 में यह थोड़ा घटकर 105.24 मिलियन टन रह गया। वर्ष 2013–14 में फिर इसमें 106.65 मिलियन टन के साथ वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में उसमें कभी आई और चावल का उत्पादन क्रमश 105. 48 तथा 104.41 मिलियन टन ही रहा। वर्ष 2016–17 में इसमें रिकार्ड वृद्धि दर्ज की गई व देश में चावल का

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-5 * (Part-1) January- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

उत्पादन 109.15 मिलियन टन रहा था।[5] इस प्रकार उपरोक्त अवधि में देश में चावल के कुल उत्पादन में 13. 25 करोड़ टन की वृद्धि दर्ज की गई जो निश्चय ही एक अच्छा कदम माना जा सकता हैं।

वही वर्ष 2010–11 में 21.73 मिलियन टन मक्का का उत्पादन हुआ जो वर्ष 2011–12 में थोड़ा बढ़कर यह 21.76 मिलियन टन रहा। वहीं वर्ष 2012–13, 2013–14 और 2014–15 में इसमें थोड़ी ओर वृद्धि हुई और यह क्रमश 22.76, 24.26 व 24.17 मिलियन टन तक पहुंच गया लेकिन वर्ष 2015–16 में इसमें कमी दर्ज की गई और मक्का का उत्पादन 22.57 मिलियन टन तक ही सीमित रहा। वर्ष 2016–17 में मक्का के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई और इसका उत्पादन 26.14 मिलियन टन तक पहुंच गया। इससे विधित होता है कि मक्का का उत्पादन देश में कभी कम व कभी अधिक रहा है।[6] इसके पीछे मानसून के अतिरिक्त इसकी आवश्यकता एवं फसल का चारे में अधिक प्रयोग प्रमुख कारण रहे हैं। वर्ष 2010–11 के दौरान बाजरे का उत्पादन 10.37 मिलियन टन था, वर्ष 2011–12 में यह घटकर 10.28 मिलियन टन रह गया। वर्ष 2012–13 में यह ओर घटकर 8.74 मिलियन टन ही रह गया। वर्ष 2013–14 में यह थोड़ा बढ़कर 9.25 मिलियन टन तक पहुंचा। परन्तु अगले ही वर्ष 2014–15 में यह फिर घटकर 9.18 मिलियन टन ही रहा। वर्ष 2015–16 में यह 8.07 मिलियन टन और 2016–17 में यह 9.86 मिलियन टन रहा। वर्ष 2017–18 के दौरान गेहूँ व चावल के उत्पादन में वृद्धि देखी गई। इस वर्ष गेहूँ व चावल का उत्पादन क्रमश 97.49 व 111. 01 मिलियन टन तक पहुँच गया। मक्का का उत्पादन ओर कम होकर 18.73 मिलियन टन रह गया। वही बाजरे का उत्पादन 9.89 मिलियन टन के साथ थोड़ा सुधार देखा गया हैं। ज्ञात होता है कि बाजरा उत्पादन वर्ष 2010–11 से 2016–17 तक निरन्तर घटता ही रहा है। इसका मुख्य कारण सींचित क्षेत्र में वृद्धि होना व अन्य फसलों विशेषकर चावल को किसानों द्वारा वरियता से बोया जाना हैं।[7]

**देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन**

देश में चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि खाद्यान्नों का उत्पादन प्रमुख तौर पर किया जाता है। खाद्यान्न को दो मौसम खरीफ व रबी की फसल के रूप में बोया जाता है। देश में वर्ष 2010–11 से वर्ष 2018–19 के दौरान हुए कुल उत्पादन को दर्शाया गया है।

**कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2010–11 से 2018–19 तक**

| वर्ष | खरीफ | रबी | कुल उत्पादन ( मिलियन टन में) |
|---|---|---|---|
| 2010–11 | 120.85 | 123.64 | 244.49 |
| 2011–12 | 131.27 | 128.01 | 259.29 |
| 2012–13 | 128.7 | 129.6 | 257.13 |
| 2013–14 | 128.69 | 136.35 | 265.04 |
| 2014–15 | 128.06 | 123.96 | 252.02 |
| 2015–16 | 125.09 | 126.47 | 251.56 |
| 2016–17 | 138.04 | 135.34 | 273.38 |
| 2017–18 | 138.46 | 139.02 | 277.49 |
| 2018–19 | 142.27 | 139.11 | 281.37 |

स्रोतः एग्रीकल्चर सटैटस्टिक्स डिवीजन डायरेक्टर ऑफ इक्नॉमिक्स एंड सटैटेटिक्स डिपार्टमैंट ऑफ एग्रीकल्चर को–ओपरेशन एंड फारमरस वैल्फेयर, इण्डिया, 2018–19

देश में वर्ष 2010–11 से 2016–17 तक खाद्यान्नों के उत्पादन मे लगातार वृद्धि देखी जा सकती है। वर्ष 2010–11 में जहां कुल उत्पादन 244.49 मिलियन टन था। 2011–12 में यह बढ़कर 259.29 मिलियन टन हो गया। वर्ष 2012–13 में थोड़ी गिरावट आई और कुल खाद्यान्न उत्पादन 257.13 मिलियन टन रहा। वर्ष 2013–14 में यह उत्पादन फिर बढ़कर 265.04 मिलियन टन हुआ। वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में खाद्य उत्पादन में फिर कमी आई और यह क्रमश 252.02 व 251.56 मिलियन टन रहा। वर्ष 2016–17 में देश में रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ और कुल खाद्यान्न 273.38 मिलियन टन तक पहुँच गया। देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि जारी रही और यह क्रमश 2017–18 और 2018–19 में 277.49 मिलियन टन व 281.37 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया।[8] जो कि देश की एक बड़ी उपलब्धि हैं।

**देश में सुरक्षित खाद्यान्न भण्डार की स्थिति**

देश में खाद्यान्न उत्पाद के साथ–साथ उसका सही व उचित प्रकार से सुरक्षित भण्डारण भी अति आवश्यक है, यदि भण्डारण की व्यवस्था नहीं होगी तो बहुत सारा खाद्यान्न खराब हो सकता है। देश में सुरक्षित भण्डार की नीति के अनुसार केन्द्रीय पूल व स्थानीय राज्यों द्वारा अनाज की खरीद करके रखा जाता है ताकि हमें उसका वितरण किया जा सके। खाद्यान्नों के सुरक्षित भण्डारण के लिए कवर किए गए गोदामों में व पॉलिथीन से खुले में ढककर भी किया जाता है। वर्तमान वर्ष 2016–17 में 359.25 लाख मीट्रिक टन गेहूँ को सुरक्षित भण्डारों में रखे जाने की क्षमता है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेन्सियों के पास केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का कुल स्टॉक 812.09 लाख मीट्रिक टन रखने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय वेयर हाऊसिंग को–ओप्रेशन स्टेट वेयरहाऊस कॉर्पोरेशन जैसी एजेन्सियां भी खाद्यान्नों को

सुरक्षित रखने का काम करती है। इन्हीं सुरक्षित भण्डारों की मदद से राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजना का क्रियान्वन सम्भव हो पाया है। भण्डारण प्रभाव केन्द्रीय खाद्य स्टॉक के लिए पर्याप्त भण्डारण क्षमता को सुनिश्चित करने से सम्बन्धित नीतिगत पहलुओं की निगरानी करता है। यह अपने नियंत्रणधीन सार्वजनिक क्षेत्र के दो केन्द्रीय उद्यमों (सी.पी.एस.ई) नामित केन्द्रीय भण्डारण निगम और सी.आर.डब्ल्यू.सी. के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से कृषि और अधिसूचित वस्तुओं के लिए संभारतंत्र सहायता उपलब्ध कराने का भी प्रयास करता है। यह एक विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू. डी.आर.ए.) के लिए प्रशासनिक विभाग भी है। इसके अन्तर्गत विभिन्न भण्डार निगम कार्य कर रहे हैं।

**केन्द्रीय भण्डार निगम (सी.डब्ल्यू.सी.)**

इस विभाग के तहत 02.03.1957 को स्थापित केन्द्रीय भण्डार निगम एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कृषि उपकरणों तथा उत्पादों व स्थापित अन्य अधिसूचित वस्तुओं के लिए वैज्ञानिक भण्डारण सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। 31.10.2017 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भण्डार निगम 52 सीमा शुल्क बोडेंड भण्डारगृहों, 31 कन्टैनर फ्रेंट स्टेशनों अन्तर्देशी निकासी डिपुओं, 3 एयर कागों कॉम्पलैक्सों (ए.सी.सी.) (5961 मीट्रिक टन) और 3 तापमान नियंत्रित (0.02 लाख मीट्रिक टन) जो निर्यात/आयात व्यापार के लिए सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं इसके अतिरिक्त यह 99.06 लाख मीट्रिक टन की कुल भण्डारण क्षमता के साथ 436 भण्डारगृहों को संचालित कर रहा है इसके साथ ही यह 19 क्षेत्रीय कार्यालयो की भी देखरेख कर रहा है।

**राज्य भण्डार निगम (एस.डब्ल्यू.सी.)**

केन्द्रीय भण्डार निगम के 19 सहयोगी राज्य भण्डार निगम है। 31.10.2017 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भण्डार निगम का कुल निवेश जो राज्य भण्डार निगमों की ईक्विटी पूंजी में 50 प्रतिशत का हिस्सेदार है। 01.10.2017 की स्थिति के अनुसार राज्य भण्डार निगम कुल 273.41 लाख मीट्रिक टन की कुल क्षमता के साथ 1787 भण्डारगृहों को संचालित कर रहा है।

**सैन्ट्रल रेलसाइड वेयर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन (सी.आर.डब्ल्यू. सी.)**

केन्द्रीय भण्डार निगम ने रेल साईडों पर भण्डारगार (सी.आर.डब्ल्यू.सी.) को विकसित करने हेतु 100 प्रतिशत स्वामित्व के साथ एक सहायक कम्पनी नामतः सेन्ट्रल रेलसाईड कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थापित की है यह सहायक कम्पनी 10.07.2007 को नियमित की गई थी और कारोबार शुरू करने के लिए प्रमाण पत्र 24.07.2007 को दिया गया था। सी.आर.डब्ल्यू.सी. 15.11.2017 की स्थिति अनुसार 332099 मीट्रिक टन की कुल भण्डारण क्षमता के साथ 19 रेल साइड भण्डारगार कॉम्पलैक्सों को संचालन कर रहा है।[9]

**केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न भण्डारण की क्षमता 2011 से 2018 तक**

| वर्ष | भारतीय खाद्य निगम (FCI) | अन्य एजेन्सियां | कुल (लाख टन) |
|---|---|---|---|
| 01.04.2011 | 316.10 | 291.32 | 607.42 |
| 01.04.2012 | 336.04 | 341.35 | 677.39 |
| 01.04.2013 | 377.35 | 354.28 | 731.63 |
| 01.04.2014 | 368.90 | 379.18 | 748.08 |
| 01.04.2015 | 356.63 | 352.59 | 709.22 |
| 01.04.2016 | 357.89 | 456.95 | 814.84 |
| 01.04.2017 | 352.71 | 420.22 | 772.93 |
| 01.04.2018 | 362.50 | 480.53 | 843.03 |

स्रोतः भारतीय खाद्य निगम, 2018

केन्द्रीय स्तर पर खाद्यान्नों का भण्डारण भारतीय खाद्य निगम व उसकी सहायक एजेन्सियों द्वारा किया जाता है। 01.04.2011 को भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता 316.10 लाख मीट्रिक टन थी और राज्य व अन्य एजेंसियों की खाद्यान्न भण्डारण क्षमता 291.32 लाख मीट्रिक टन थी और कुल भण्डारण क्षमता 2011 में 607.42 लाख टन थी। जो 01.04.2012 एवं 01.04.2013 को क्रमश भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता 336. 04 एवं 377.35 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई व अन्य एजेन्सियों की भण्डारण क्षमता 341.35 व 354.28 लाख मीट्रिक टन तथा केन्द्रीय पूल में कुल भण्डारण क्षमता 677.39 एवं 731.63 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई। वही 2014 एवं 2015 को भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्न भण्डारण की क्षमता क्रमश 368.90 व राज्य एजेन्सियों के पास 379.18 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण की क्षमता थी व कुल खाद्यान्न भण्डारण की क्षमता 748.08 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई। 01.04. 2015 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता 356.63 लाख मीट्रिक व अन्य एजेन्सियों के पास 352.59 लाख भण्डारण की क्षमता थी तथा कुल भण्डारण क्षमता 709.22 लाख टन थी जो कि पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम थी। 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्न भण्डारण क्षमता 357.89 लाख मीट्रिक टन थी व अन्य एजेन्सियों के पास 456.95 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण क्षमता थी तथा कुल भण्डारण क्षमता में वृद्धि करके इसे 814.84 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया गया था 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण

क्षमता 352.71 लाख मीट्रिक व अन्य एजेन्सियों के पास 420.22 लाख मीट्रिक टन भण्डारण की क्षमता थी तथा कुल भण्डारण क्षमता 772.93 लाख मीट्रिक टन थी जो कि पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम थी। 01.04.2018 को भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करके 362.50 लाख मीट्रिक टन किया गया और राज्य व अन्य एजेंसियों की खाद्यान्न भण्डारण क्षमता में भी वृद्धि करके 480.53 लाख मीट्रिक टन की गई तथा कुल भण्डारण क्षमता में वृद्वि करके इसे 843.03 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया गया है ताकि अनाज को खराब होने से बचाया जा सके और उसकी उचित समय पर आवंटन किया जा सके।[10]

उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसी आधार पर केन्द्रीय भण्डारण के लिए खाद्य अनाज खरीदते हैं तथा इसको भारतीय खाद्य विभाग को भेजते हैं जो भारत सरकार की मुख्य संस्था है। खाद्य अनाजों की पूर्ति के लिए अनुरोध भारतीय खाद्य निगम को भेजे जाते हैं जिनको भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा फंडों की व्यवस्था बजट अनुमानों के आधार पर की जाती है। जिसकी व्यवस्था राज्य वित विभाग द्वारा की जाती है। खाद्य अनाजों की खरीददारी के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है जो राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

**निष्कर्ष एवं सुझाव**

निःसंदेह भारत में खाद्य उत्पादन में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है और खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में भारत आज न केवल आत्मनिर्भर है अपितु इसके पास पर्याप्त मात्रा में भण्डारण भी है और यह अपने अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात भी करता हैं। खाद्यन्न उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि के पीछे हरित क्रान्ति के साथ–साथ सरकार द्वारा इसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रमुख कारण कहे जा सकते है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी सरकार द्वारा समय–2 पर संशोधित किया जाता रहता है जो 2007–17 के बीच लगभग दो गुणा हो गया है। यह देश को शक्तिशाली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है लेकिन इसके बावजूद भी हम भारतीय कृषि व्यवस्था और उत्पादन की मानसून पर निर्भरता को अभी–भी काफी हद तक कम नहीं कर पाए हैं। मानसून की विफलता या कमजोरी हमारी खेतीबाड़ी को बुरी तरह से प्रभावित करती है जिसका सीधा असर पूरी अर्थव्यवस्था पर देखा जा सकता है। खाद्यन्न उत्पादन में बेहताशा वृद्धि के बावजूद देश में इसके सुरक्षित भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था न हो पाना एक दुःखद पहलु कहा जा सकता है विशेषकर उस हालात में जब देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग भूखमरी तथा कुपोषण का शिकार हो। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सुरक्षित खाद्यन्न भण्डारण की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की जाए ताकि इसको खुले में तथा गोदामों में भिगने, चूहों तथा कीटों का ग्रास बनने से रोका जा सकें। इस हेतु सरकार संबधित खाद्य सुरक्षा तथा वितरण तकनीको एवं विकल्पो का प्रयोग कर सकती हैं।

**संदर्भ ग्रंथ सूची**

1. *दैनिक ट्रिब्यून, बठिंडा, 26 अप्रैल, 2018, पृ. 12*
2. *भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, 2005, पृ. 45–49*
3. *केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, वार्षिक रिपोर्ट, खाद्यान्नों के समर्थन, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2016–17*
4. *www.foodgrainproductioninindia.com*
5. *www.foodgrainproductioninindia.com*
6. *www.foodgrainproductioninindia.com*
7. *www.foodgrainproductioninindia.com*
8. *डायरेक्टर ऑफ इक्नॉमिक्स एंड सटैटिक्टस, ए रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर स्टेटिक्स डिवीजन, डिपोर्टमैंट ऑफ एंग्रीकल्चर, को–ओप्रेशन एंड फारमर्स वेल्फेयर, इंडिया, नई दिल्ली,2018–19*
9. *केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, वार्षिक प्रतिवेदन, खाद्यान्न भण्डारण, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2017*
10. *भारतीय खाद्य निगम, वार्षिक प्रतिवेदन, केन्द्रीय पूल में भण्डारण, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2016*